



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-11062026-273329
CG-AP-E-11062026-273329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2869]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948

No. 2869]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISTHA 19, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण तट रेलवे (इंजीनियरी विभाग)]

अधिसूचना

गुंटूर, 9 जून, 2026

का.आ. 2965(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई टेबल के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में प्राधिकृत करती है, ताकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्वहन कर सके, यह प्राधिकरण इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा तथा श्री सिमेंट लिमिटेड को आंध्र प्रदेश राज्य में रेल मंत्रालय की गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति के अंतर्गत गुंटूर-नाडिकुडि रेलवे ट्रैक सेक्शन पर स्थित तुम्मलचेरु रेलवे स्टेशन द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जो प्रस्तावित साइडिंग कनेक्टिविटी विशेष रेलवे परियोजना से है लागू होगा और यह प्राधिकरण उक्त टेबल के कॉलम (3) में उल्लिखित उप-जिले तथा कॉलम (4) में उल्लिखित जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में, उक्त विशेष रेलवे परियोजना के कार्यान्वयन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन हेतु प्रदान किया जाता है.

क्र.सं.	सक्षम प्राधिकारी	उप जिला	जिला
1.	राजस्व मंडल अधिकारी, गुरजाला	गुरजाला	पल्लाडु

[फा. सं. जीएनटी/डब्ल्यू.277/भूमि/ई-राजपत्र/श्री सिमेंट]

सुदेशना सेन, मंत्रप्र

MINISTRY OF RAILWAYS**[South Coast Railway (Engineering Department)]****NOTIFICATION**

Guntur, the 9th June, 2026

S.O. 2965(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Table below as competent authority' to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official gazette in respect of the Special Railway Project of Proposed Siding Connectivity to Shree Cement Ltd., served by Tummalacheruvu Railway Station on Guntur–Nadikudi Railway Track Section under the Gati Shakti Multi-Modal Cargo Terminal Policy of Ministry of Railways in the state of Andhra Pradesh relating to sub division mentioned in column (3), District mentioned in column (4) of the said Table for the execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

Sr. No.	Competent Authority	Sub Division	District
1	Revenue Divisional Officer, Gurazala	Gurazala	Palnadu

[F.No. GNT/W.277/Land/E-Gazette/Shree Cements]
SUDESHNA SEN, DRM